दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.06/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19.6.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी दीपक अग्रवाल पुत्र महेश अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– कालन्द्री रोड़, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अग्रवाल केटल फिडस्, कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही अनुस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी दीपक अग्रवाल के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.1.2022 को फर्म अग्रवाल केटल फिड्स, कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी दीपक अग्रवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (माधवन ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1568 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./17/Act/2022/62 दिनांक 13.1.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी दीपक अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये। तत्पश्चात् अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने प्रतिवादी दीपक अग्रवाल की ओर से इस प्रकरण में पैरवी के संबंध में कोई निर्देश नही होना जाहिर किया। प्रकरण में प्रतिवादी दीपक अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित द्वारा पैरवी के कोई निर्देश नही होना जाहिर करने के बाद प्रतिवादी दीपक अग्रवाल की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही प्रतिवादी दीपक अग्रवाल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण में प्रतिवादी दीपक अग्रवाल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज उक्त जांच रिपोर्ट में अंकितनानुसार घी (माधवन ब्राण्ड) की निर्माता फर्म मां वैष्णों फूडस् प्रोडक्टस्, एच.नं. 3632 एस.नं. 282 खान रियल एस्टेट, 2– Pehharwaliv Vasai (East) Vasai, Palghar Zone-2, Maharastra-401208 को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2023 को इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत पक्षकार बनाया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने व धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध करने के संबंध में नोटिस जारी किया जाकर पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया, लेकिन सही पते के अभाव में प्रतिवादी फर्म मां वैष्णों [illegible] जारी नोटिस की पंजीकृत डाक अदम तामिल पुनः [illegible] न्यायालय को प्राप्त हुई, ...लगातार	

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:02 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.06/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	उसके बाद पुनः नोटिस जारी कर मां वैष्णों फूडस् प्रोडक्टस् के उक्त पते पर पुनः नोटिस पंजीकृत डाक से प्रेषित किये गये, लेकिन फर्म मां वैष्णों फूडस् प्रोडक्स् के सही पते के अभाव में पंजीकृत डाक पुनः अदम तामिल प्राप्त हुई। यहां यह उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्व बताये गये है व धारा 27 में विनिर्माताओं, पैकरों, थोक विक्रेताओं और वितरकों के दायित्व दिये हुये है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27(3)(घ) के तहत विक्रेता इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के लिये उत्तरदायी होगा, जो उस विनिर्माता या वितरक की पहचान बताने वाला नही है जिससे ऐसा खाद्य पदार्थ प्राप्त किया हो। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी दीपक अग्रवाल ने उक्त खाद्य पदार्थ घी (माधवन ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 02.1.2022 को समय 12.15 पी.एम. पर फर्म अग्रवाल केटल फिड्स, कालन्द्री–सिरोही रोड़, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी दीपक अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो फर्म अग्रवाल केटल फिड्स, कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तह. व जिला– सिरोही में आम जन को खाद्य पदार्थ घी (माधवन ब्राण्ड) का विक्रय करता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अग्रवाल केटल फिड्स् की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (माधवन ब्राण्ड) के 17 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक लीटर) में मिलावट का शक होने से तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने उक्त खाद्य पदार्थ घी (माधवन ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक एक लीटर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष राशि रुपये 1,400/– (अक्षरे रुपये एक हजार चार सौ मात्र) में कीमतन क्रय किये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने नियमानुसार लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम घी (माधवन ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता दीपक अग्रवाल एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा श्री विनोद ......लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:02 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.06/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने खरीदशुदा घी (माधवन ब्राण्ड) के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-1568 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता दीपक अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं के कब्जे में लेकर मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दीपक अग्रवाल एवं उक्त गवाह तथा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर–6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 03.1.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 02.1.2022 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी फार्म नंबर 5ए, खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड घी (माधवन ब्राण्ड) के क्रय की रसीद/बिल व मौका फर्द आदि दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म अग्रवाल केटल फिडस् में प्रतिवादी दीपक अग्रवाल से खाद्य पदार्थ घी (माधवन ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत क्रय करने की कार्यवाही विधि अनुसार की गई है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी (माधवन ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1568 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जो[illegible] खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L[illegible]/T/[illegible]ct/2022/62 दिनांक

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:02 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.06/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13.1.2022 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी दीपक अग्रवाल ने खाद्य पदार्थ घी (माधवन ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्व बताये गये है व धारा 27 में विनिर्माताओं, पैकरों, थोक विक्रेताओं और वितरकों के दायित्व दिये हुये है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27(3)(घ) के तहत विक्रेता इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के लिये उत्तरदायी होगा, जो उस विनिर्माता या वितरक की पहचान बताने वाला नही है जिससे ऐसा खाद्य पदार्थ प्राप्त किया हो। ऐसी स्थिति में, धारा 27(3)(घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रतिवादी विक्रेता दीपक अग्रवाल ही अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (माधवन ब्राण्ड) के विक्रय हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी दीपक अग्रवाल ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (माधवन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी दीपक अग्रवाल स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/ 08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (माधवन ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी दीपक अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल, निवासी– कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अग्रवाल केटल फिड्स, कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 70,000/– (अक्षरे रुपये सत्तर हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी दीपक अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल, निवासी– कालन्द्री रोड़, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 19.7..2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:02 IST
Reason: SelfAttested